

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्,
विज्ञान भवन, नेहरू नगर, भोपाल



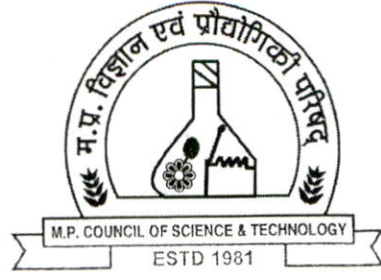
कार्यकारी समिति
की

51 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

स्थान
विधानसभा परिसर, भोपाल


डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी सचिव
म.प्र. वि. एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल



कार्यकारी समिति की 51 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

स्थान: समिति कक्ष क्र. 4
विधानसभा परिसर, भोपाल

तिथि 28-03-2011
(सोमवार)

विधानसभा परिसर स्थित, समिति कक्ष क्र. 4 में कार्यकारी समिति की 51 वीं बैठक अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

1	श्री कैलाश विजयवर्गीय, अध्यक्ष कार्यकारी समिति, म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद् एवं मंत्री, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री सेवाराम, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
3.	प्रो. प्रमोद के. वर्मा, महानिदेशक, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	सदस्य
4.	श्री सत्यानंद, अपर सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	श्री आर. श्रीवास्तव (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	
6.	प्रो. पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	सदस्य
7.	श्री अजय गोयनका, प्रबंध निदेशक, चिरायु एयर प्रोडक्ट्स	सदस्य
8.	श्री अजित श्रीवास्तव, कार्यकारी संचालक, म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्	सदस्य सचिव

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र. वि. एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल

कार्यसूची क्रमांक - 01

विषय: दिनांक 26 जुलाई 2010 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 50 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय: कार्य विवरण की पुष्टि की गई।

कार्यसूची क्रमांक - 02

विषय: दिनांक 28 मार्च 2011 को सम्पन्न बैठक में पारित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

दिनांक 26 जुलाई 2010 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 50 वीं बैठक में पारित संकल्पों का कार्य सूचीवार पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

क्र.	पालन प्रतिवेदन
ए.	विज्ञान आधारित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए चलित वाहन तैयार करने विषयक एम्प्री को पत्र भेजा जाए।
बी	अ. परिषद् द्वारा चयनित रजत जयंती फैलो द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत किया गया। ब. इसके मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों का नामांकन करने हेतु माननीय, अध्यक्ष कार्यकारी समिति को अधिकृत किया गया।
सी	जॉच प्रकरण समाप्त होने तथा गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक पाए जाने पर डॉ. आर्या, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक की 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की दिनांक 31-01-2010 से परिवीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
डी.	डॉ. वीरेन्द्र श्रीवास्तव, वैज्ञानिक प्रकरण से संबंधित अपील नियमों के साथ टीप निर्णय हेतु प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म. प्र. शासन को प्रेषित किया जाये।
एसपी-1	कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति विषयक पूर्व निर्णय में निम्नांकित आंशिक संशोधन किए गए:- 1. इस योजना का वास्तविक लाभ दिनांक 01-04-11 से दिया जाये। 2. दिनांक 01-04-11 के उपरांत नियुक्त होने वाले जे. आर. एफ. को लाभ दिया जाये।
अध्यक्ष महोदय के निर्देश	
एन-1	परिषद् अमले की पुर्नसंरचना एवं सेवा नियम के संबंध में चर्चा की गई। म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के पत्र क्र. सी/3-29/95/371 दिनांक 28 अक्टूबर 95 (संलग्न) में दिए गए निर्देश के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाना है।

कार्यसूची क्रमांक - 03

विषय: परिषद् की प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण।

निर्णय: परिषद् की प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियों का पावर पाइंट प्रेजेंटेशन कार्यकारी समिति के समक्ष पटल पर किया गया।

कार्यसूची क्रमांक - 04

विषय: श्री अजित श्रीवास्तव, कार्यकारी संचालक की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि का अनुसमर्थन।

निर्णय: अनुसमर्थन किया गया।



डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन



कार्यसूची क्रमांक - 05

विषय: डॉ. (श्रीमती) आभास्वरूप (संयुक्त संचालक) के विरुद्ध की गई जाँच के संबंध में।

निर्णय: जाँच समिति का प्रतिवेदन कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया इस प्रतिवेदन के निष्कर्षों का अध्ययन कर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया गया ताकि कार्यकारी समिति प्रकरण पर उचित निर्णय ले सके।

कार्यसूची क्रमांक - 06

विषय: परिषद् के अनुभाग अधिकारी एवं सहायक के वेतनमानों की विसंगति बाबत।

निर्णय: प्रस्तावित सेवा नियमों में इनको समाहित किया जाये।

कार्यसूची क्रमांक - 07

विषय: परिषद् की विभिन्न योजनाओं की नियमावलियों विषयक।

निर्णय: (क). एफ. टी. वाई. एस. की एक और नियमावली शामिल की गई।

(ख). माननीय सदस्यों को इन नियमावलियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से प्रकरण को समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

कार्यसूची क्रमांक - 08

विषय: ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र के अद्योसंरचना विकास कार्य, योजना की प्रगति का अनुमोदन।

निर्णय: (क). ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र को आवंटित भूमि की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल एवं शेष कार्यों के निर्माण हेतु कुल लागत प्रस्ताव में उल्लेखित तालिका के बिन्दु क्र. 5 एवं 9 के योग के अनुसार ₹. 2,12,07,000.00 है। त्रुटिवश यह राशि ₹. 1,12,07,000.00 अंकित हो गई है, इसे परिमार्जित किया गया।

(ख). प्रस्ताव अनुसार परियोजनान्तर्गत उपलब्ध राशि निर्माण एजेन्सी, राजधानी परियोजना प्रशासन को ट्रांसफर कर शेष कार्य कराने का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची क्रमांक - 09

विषय: ऊर्जा विकास निगम के औबेदुल्लागंज स्थित अपूर्ण भवन परिषद् को हस्तांतरित करने बाबत।

निर्णय: औबेदुल्लागंज स्थित संदर्भित भूमि अपूर्ण भवन सहित परिषद् को हस्तान्तरण करने हेतु ऊर्जा विकास निगम को रु. 9,32,853.00 का भुगतान किया जावे। प्रस्ताव कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौद्योगिकी परि. भोपाल

अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से प्रस्ताव

कार्यसूची क्रमांक : एसपी-1

विषय: अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा किए गए निर्णयों का अनुसमर्थन।

परिषद् द्वारा उप संचालक (प्रशा.) पद हेतु जारी विज्ञापन एवं तदुपरांत आयोजित साक्षात्कार में चयनित तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त वर्तमान उप संचालक (प्रशा.) को उनके मूल विभाग से प्राप्त प्रतिनियुक्ति की शर्तों एवं मूल विभाग की सहमति के आधार पर, उप संचालक (प्रशा.) पद हेतु परिषद् में लागू समकक्ष वेतनमान प्रदाय करने का निर्णय तत्कालीन महानिदेशक एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया था। प्रतिनियुक्ति की उन्हीं शर्तों को मान्य करते हुए उप संचालक (प्रशा.) की प्रतिनियुक्ति अवधि में दो वर्ष की वृद्धि का निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा 50 वीं बैठक (निर्णय क्र. 11) में लिया गया है।

अतः तत्कालीन अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय: पूर्व अध्यक्ष कार्यकारी समिति के लिए गए निर्णय का अनुमोदन किया गया।

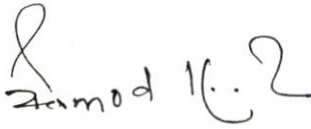
कार्यसूची क्रमांक : एसपी-2

विषय: कम्प्यूटर सहायक का पद अनुभाग अधिकारी में परिवर्तित करने बाबत।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित सेवा नियमों में समाहित किया जाये।


(कैलाश विजयवर्गीय)

अध्यक्ष
कार्यकारी समिति
म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्
एवं
माननीय मंत्री, वि. एवं प्रौ. विभाग
म. प्र. शासन


(प्रो. प्रमोद के. वर्मा)

सदस्य
महानिदेशक
म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्


(अजित श्रीवास्तव)

सदस्य सचिव
कार्यकारी संचालक
म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्


डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परि. बोपाब